

कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी, समस्तीपुर।
 'स्थापना शाखा'

'कार्यालय आदेश'

संयुक्त सचिव शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 538 दिनांक 19/6/15 के आलोक में बिहार विद्यार्थी शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2010 के तहत 34540 कोटि के सहायक शिक्षकों के नियुक्ति के क्रम में पूर्व की निर्धारित तिथि पर काउन्सेलिंग के दौरान अनुपस्थित अभ्यर्थियों सामान्य कोटि के 22 एवं उई कोटि के 11 का काउन्सेलिंग का आयोजन निम्नवत प्रोग्राम के तहत किया गया है।


दिनांक	स्थान	समय	अभ्युक्ति
19/6/2015	आर० एस० वी० इंटर महाविद्यालय काशीपुर समस्तीपुर	9.00 बजे पूर्वहन	संबंधित अभ्यर्थी निर्धारित स्थान पर उक्त कार्यक्रम के अनुरूप सभी प्रमाणपत्रों (मूल प्रतियाँ) एवं अपना-अपना दो रंगीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के साथ उपस्थित होंगे।

६६

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
 स्थापना
 समस्तीपुर।

शाखांक 2463 / समस्तीपुर दिनांक 5/6/15

प्रतिलिपि :- प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी शिवजीनगर को निर्देश दिया जाता है कि आपको काउन्सेलिंग हेतु अधिकृत किया गया है और आप यथा समय उपस्थित होकर उपस्थित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाणपत्रों का मिलान उक्त तिथि को करेंगे एवं काउन्सेलिंग के उपरान्त सभी अभ्यर्थियों अपने स्पष्ट मतलब के साथ उच्चोद्देश्यकारी कार्यालय को समाहित करेंगे।
 एवं प्राचार्य आर० एस० वी० इंटर कॉलेज काशीपुर समस्तीपुर को सूचनाएं एवं आवेदनक कार्यालय प्रेषित।


 जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
 स्थापना

समस्तीपुर।
 5/6/15